CAAE – 2 (H)

कनिष्ठ लेखा अधिकारी सामूहिक परीक्षा

मई, 2012

सेवा नियम (पुस्तकों सहित)

समय : 3 घंटे *अधिकतम अंक : 150*

अनुमत पुस्तकें :

1. मूल नियमावली खंड I और II
2. पूरक नियमावली
3. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972
4. केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली 1972
5. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियमावली, 1960
6. छुट्टी यात्रा रियायत नियमावली
7. पुनर्नियोजित पेंशन भोगियों से संबंधित वेतन निर्धारण आदेश

उपलब्ध कराए जाने वाले फार्म :

1. स्थानांतरण यात्रा भत्ता बिल फार्म
2. छुट्टी लेखा फार्म

टिप्पणियां :

(i) इस प्रश्न पत्र में **6** पृष्ठ और **7** प्रश्न हैं।

(ii) प्रश्न संख्या **1** तथा **2** अनिवार्य है। शेष में से किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(iii) परीक्षार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नों के स्पष्ट और सटीक उत्तर लिखें और जहाँ लागू हो वहाँ नियमों के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करें।

1. निम्नलिखित ब्योरे से स्टेशन 'ए' से स्टेशन 'बी' को एक उच्च पद से निम्न पद पर स्थानांतरित एक सरकारी कर्मचारी को स्वीकार्य स्थानांतरण यात्रा भत्ते की गणना कीजिए:-

उसने स्टेशन 'ए' पर 1 अप्रैल, 2012 को कार्यभार सौंपा।

उसने स्टेशन 'बी' पर 6 अप्रैल, 2012 को कार्यभार ग्रहण किया।

स्टेशन 'ए' पर ₹15,600-39,100 के वेतन बैंड में ₹7,600 ग्रेड वेतन सहित वेतन ₹31,600.

स्टेशन 'बी' पर ₹15,600-39,100 के वेतन बैंड में ₹6,600 ग्रेड वेतन सहित वेतन ₹31,600.

परिवार का ब्योराः- तीन आश्रित बच्चे सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हैं और उनकी जन्म की तारीख क्रमशः 02.02.1999, 07.09.2000 और 11.01.2002 हैं। पिता, सौतेली माता, एक नाबालिक भाई भी पूर्णतया आश्रित हैं और सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हैं।

सरकारी कर्मचारी और उसकी पत्नी को छोड़कर परिवार के सभी सदस्यों ने एअर इंडिया की किफायती श्रेणी से यात्रा की। हवाई किराया ₹5,000 प्रति व्यक्ति है।

सरकारी कर्मचारी और उसकी पत्नी ने 5 अप्रैल, 2012 को स्टेशन 'ए' से स्टेशन 'बी' को अपनी स्वयं की कार से यात्रा की। दूरी 1000 कि.मी. है। निर्धारित सड़क मील दर ₹16 प्रति कि.मी. है। कार को यात्री गाड़ी से ले जाने का व्यय ₹14,000 है।

सरकारी कर्मचारी, पत्नी, बच्चों और सौंतेली माता ने स्टेशन 'ए' से स्टेशन 'बी' को 5 अप्रैल, 2012 को यात्रा की। पिता और नाबालिक भाई ने विमान से स्टेशन 'ए' से स्टेशन 'बी' को 27 फरवरी, 2012 को यात्रा की। उसने रेलगाड़ी से एक डबल कंटेनर बुक किया और रेलवे को ₹10,000 अदा किए। एक सिंगल कंटेनर/4 पहियों का वैगन/6000 कि.ग्रा. का मालगाड़ी का किराया ₹8,000 है।

(30 अंक)

2. निम्नलिखित ब्योरे से अधिवर्षिता पेंशन, परिवार पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान और पेंशन के अधिकतम अनुमत्य संराशीकृत मूल्य की गणना कीजिएः-

जन्म की तारीख	01.04.1951
भारतीय सेना में सेवा आरम्भ करने की तारीख	01.01.1968 (पूर्वाह्न)
सेना की सेवा छोड़ने की तारीख	31.12.1977 (अपराह्न)
सिविल सेवा आरम्भ करने की तारीख	01.01.1988 (पूर्वाह्न)
भा.सि.ले.से. में आने की तारीख	01.01.1999

अधिकारी को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 05.07.2009 को पदोन्नत किया गया। पदोन्नति पर अधिकारी का वेतन ₹29,520 और ₹7,600 ग्रेड वेतन नियत किया गया।

अधिकारी को सिविल सेवा में स्थायी किया गया और उसने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली के अधीन अर्हक सेवा के रूप में अपनी पिछली सैन्य सेवा को हिसाब में लेने का विकल्प दिया।

अधिकारी ने निम्नलिखित प्रकार की छुट्टियां लीं :-

चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर असाधारण छुट्टी - 60 दिन

मकान बनाने के लिए असाधारण छुट्टी - 60 दिन (इस अवधि को गैर-अर्हक सेवा के रूप में माने जाने के लिए सेवा पुस्तिका में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी)।

वर्ष 2000 के दौरान अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया था परन्तु अपील करने पर बाद में बहाल कर दिया गया था। बर्खास्त करने की तारीख और बहाल करने की तारीख के बीच 180 दिन का अंतर था। अंतर की इस अवधि को ड्यूटी या छुट्टी के रूप में मानकर नियमित करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया था।

01.01.2011 से महंगाई भत्ता 51% की दर पर है। अधिकारी ने अपनी पेंशन के 40% के संराशीकरण के लिए आवेदन किया। अगले जन्म दिन पर आयु 61 होने पर ₹ 1 प्रति वर्ष की पेंशन का संराशीकृत मूल्य 8.194 है।

अधिवर्षिता की तारीख पर अधिकारी के परिवार का कोई सदस्य नहीं था। तथापि, अधिकारी ने पहली बार 01.04.2011 को कानूनी रूप से विवाह किया था। अधिकारी की पत्नी की जन्म की तारीख 01.01.1949 है।

(30 अंक)

3. निम्नलिखित ब्योरे से श्री "एक्स" का छुट्टी खाता तैयार कीजिए और 30.06.2010 की स्थिति के अनुसार अधिकारी के खाते में जमा छुट्टी ज्ञात कीजिए।

जन्म की तारीख	15.06.1951
सरकारी सेवा में आने की तारीख	01.01.1977 (पूर्वाह्न)
01.02.2006 को खाते में जमा छुट्टी	अर्जित छुट्टी 168 दिन और अर्ध वेतन छुट्टी 20 दिन
10.02.2006 से 19.02.2006 तक	10 दिन की असाधारण छुट्टी ली
01.05.2007 से 10.05.2007 तक	10 दिन की अर्ध वेतन छुट्टी ली
01.04.2008 से 30.06.2008 तक	91 दिन की अर्जित छुट्टी ली

अधिकारी भारत में 10.10.1999 से 31.03.2005 तक अन्यत्र सेवा पर रहा।

नवम्बर, 2009 के दौरान अधिकारी को स्टेशन 'ए' से स्टेशन 'बी', जिनके बीच की दूरी 3000 कि.मी. थी, को स्थानांतरित किया गया। उसने विमान से यात्रा की और 7 दिन के कार्यग्रहण समय का उपयोग किया जबकि इसके लिए 12 दिन स्वीकार्य थे।

अधिकारी को 01.04.2010 से 61 दिन की अर्जित छुट्टी स्वीकृत की गई परन्तु वह 30.06.2010 तक कार्य पर नहीं आए जिसके लिए छुट्टी बढ़ाया जाना स्वीकृत नहीं किया गया।

(30 अंक)

4. सही या गलत बताइए:-

(i) एसआर2(8) के अधीन परिवार की परिभाषा में सरकारी कर्मचारी के साथ रह रही और पूर्णतया आश्रित सौतेली माता शामिल है।

(ii) एक पात्र सरकारी कर्मचारी जिसने दौरे पर सरकारी यात्रा के लिए घर से विमानपत्तन/रेलवे स्टेशन तक टैक्सी से यात्रा की, वह टैक्सी को अदा किए गए वास्तविक प्रभार का दावा कर सकता है।

(iii) मुख्य लेखा नियंत्रक जो विभाग का अध्यक्ष है वह पात्रता नहीं रखने वाले अधिकारी को हवाई यात्रा के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(iv) एक सरकारी कर्मचारी के परिवार का एक सदस्य यदि अधिक से अधिक 6 माह की अवधि के भीतर कर्मचारी से पहले यात्रा करता है तो उस यात्रा को सरकारी कर्मचारी के साथ की गई यात्रा माना जाएगा।

(v) 2 जुलाई से 30 अगस्त की अवधि को 2 माह माना जाता है।

(vi) एक सरकारी कर्मचारी को सामान्य परिस्थितियों में पांच वर्ष से अधिक की सतत अवधि के लिए छुट्टी मंजूर की जा सकती है।

(vii) एक सरकारी कर्मचारी को अनियत स्वरूप के ऐसे दो कार्य करने पर जिसके लिए विशेष पारिश्रमिक दिया जाना उचित हो, एक ही वित्तीय वर्ष में विभागाध्यक्ष द्वारा ₹2,400 और मंत्रालय के सचिव द्वारा ₹3,000 मानदेय दिया जा सकता है।

(viii) छुट्टी यात्रा रियायत संतान देखभाल छुट्टी के दौरान स्वीकार्य है।

(ix) एक निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है।

(x) न्यायालय की कुर्की पर देय राशि अनिवार्य कटौती है जिसे गुजारा भत्ते में से काटा जाना चाहिए।

(10x3=30 अंक)

5. एक उप लेखा नियंत्रक को पदोन्नत होने पर 1 जनवरी, 2011 को लेखा नियंत्रक का पद ग्रहण करना था परन्तु 1 से 3 जनवरी तक अवकाश होने के कारण वह 4 जनवरी 2011 को ही कार्यभार ग्रहण कर सका। उप लेखा नियंत्रक का ग्रेड वेतन ₹ 6,600 और लेखा नियंत्रक का ग्रेड वेतन ₹ 7,600 है और ये दोनों पद ₹ 15,600-39,100 के वेतन बैंड में हैं। पदोन्नति से पूर्व अधिकारी 01.07.2010 से ₹ 29,410 वेतन और ₹ 6,600 ग्रेड वेतन आहरित कर रहा था। संगत नियमों का उल्लेख करते हुए अधिकारी का वेतन निर्धारित कीजिए और वेतन वृद्धि की अगली तारीख भी बताइएः

(i) यदि वह अपनी पदोन्नति की तारीख से नए पद में वेतन निर्धारित किए जाने का विकल्प देता है।

(ii) यदि वह पुराने पद में वेतन वृद्धि की अगली तारीख से नए पद में वेतन निर्धारित किए जाने का विकल्प देता है।

(30 अंक)

6. निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिएः

(i) एक निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी को न्यायालय द्वारा 01.03.2012 को दोषमुक्त घोषित कर दिया गया। उसको बहाल किए जाने का आदेश 15.03.2012 को जारी किया गया और उसने 15.03.2012 को पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया। कार्यालय प्रमुख ने उससे 01.03.2012 से 15.03.2012 तक यथास्वीकार्य छुट्टी का आवेदन देने को कहा।

(ii) एक सरकारी कर्मचारी जिसे 02.03.2010 पूर्वाह्न को स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई थी, 15.01.2010 से 35 दिन की अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर परिवर्तित छुट्टी पर चला गया। तथापि, वह छुट्टी की समाप्ति पर स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर सका। वह चाहता है कि छुट्टी 02.03.2010 (पूर्वाह्न) तक बढ़ा दी जाए।

(iii) न्यायालय ने एक सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी को संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (1) या (2) की अपेक्षाओं का पालन न किए जाने के एकमात्र आधार पर निरस्त कर दिया। उसे गुण-दोष के आधार पर दोष मुक्त घोषित नहीं किया गया था। न्यायालय ने बर्खास्तगी की अवधि के लिए अदा किए जाने वाले वेतन और भत्तों की मात्रा के बारे में कोई निदेश नहीं दिया था। सक्षम प्राधिकारी ने आदेश

दिया था कि सरकारी कर्मचारी को वेतन और भत्तों की पूरी राशि अदा की जाए।

(iv) एक पुनर्नियुक्त सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति समाप्त होने पर उसके खाते में 230 दिन की अर्जित छुट्टी और 60 दिन की अर्ध वेतन छुट्टी है। पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते समय उसने 10 दिन की अर्जित छुट्टी का नकदीकरण करवा लिया था। पिछली नियुक्ति से सेवानिवृत्त होने के समय 100 दिन के छुट्टी वेतन के बराबर राशि उसे पहले ही अदा कर दी गई थी। उसके पुनर्नियोजन की समाप्ति के समय पर अब कितनी अर्जित छुट्टी/अर्ध वेतन छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है।

(v) एक वरिष्ठ लेखाकार (ग्रुप सी) को 01.07.2010 (पूर्वाह्न) से सहायक लेखा अधिकारी (ग्रुप बी) के पद पर पदोन्नत किया गया था। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर मुख्य शास्ति लगाकर उसे 15.02.2012 से वरिष्ठ लेखाकार के निम्न पद पर पदावनत कर दिया गया था। उसके सीजीईजीआईएस अभिदान को किस प्रकार विनियमित किया जाएगा।

(5x6=30 अंक)

7. निम्नलिखित ब्योरे से एक अभिदाता का 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामान्य भविष्य निधि खाता बही तैयार कीजिए और उसके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाने वाली ब्याज की राशि और अंतिम शेष ज्ञात कीजिए :-

(i) 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष ₹50,000

(ii) मासिक अभिदान ₹2,000

(iii) ब्याज की दर 8%

(iv) उसे 20 जून, 2010 को ₹10,000 का अस्थायी अग्रिम अदा किया गया था जिसे 20 बराबर किस्तों में वसूल किया जाना है।

(v) उसे 2 जून, 2011 को ₹5,500 का अस्थायी अग्रिम अदा किया गया था जिसे बकाया अग्रिम सहित 10 बराबर किस्तों में वसूल किया जाना है।

(30 अंक)

CAAE – 2 (E)

COMMON ASSISTANT ACCOUNTS OFFICER EXAMINATION

MAY, 2012

SERVICE RULES (With Books)

Time Allowed : 3 Hours *Maximum Marks : 150*

Books allowed:

1. Fundamental Rules Vol.I & II.
2. Supplementary Rules.
3. Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
4. Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.
5. General Provident Fund (Central Service) Rules, 1960
6. Leave Travel Concession Rules.
7. Orders Regarding Fixation of Pay of Re-employed Pensioners.

Forms to be supplied:

1. Transfer TA Bill Form. 2. Leave Account Form

Notes :

(i) This question paper contains **6** pages and **7** questions.

(ii) Answer question nos. **1** and **2** which are compulsory. Attempt any **three** of the remaining.

(iii) The candidates would be expected to answer in a clear and cogent manner and invite reference to relevant provisions of Rules (wherever applicable).

1. Calculate the transfer travelling allowance admissible to a government servant transferred from a higher post to a lower post from Station "A" to Station "B" from the following particulars:-

He made over charge at Station "A" on 1st April, 2012.

He took over charge at Station "B" on 6th April, 2012.

Pay at Station "A" ₹31,600 with Grade Pay ₹7,600/- in Pay Band of ₹15,600-39,100.

Pay at Station "B" ₹31,600 with Grade Pay ₹6,600/- in Pay Band of ₹15,600-39,100.

Details of family:-Three dependent children are residing with the government servant and their date of birth are 02-02-1999, 07-09-2000 & 11-01-2002 respectively. Father, step mother and one minor brother are also fully dependent and residing with the Government Servant.

All members of family except Govt. servant and his wife travelled by Air India Economy Class. Air fare is ₹5,000/- per person.

The Govt. Servant and wife travelled in own car from Station "A" to Station "B' on 5th April, 2012. The distance is 1000 km. Prescribed road mileage is ₹16/- per km. The expenditure on transportation of car by passenger train is ₹14,000/-.

The Govt. Servant, wife, children & step mother performed journey from station "A" to station "B" on 5th April, 2012.

Father and minor brother travelled by Air from station "A" to station "B" on 27th February, 2012.

He booked one double container by train and paid ₹10,000/- to the Railways. The rate for one single container/4 wheeler wagon/6000kg by goods train is ₹8,000/-.

(30 marks)

2. Calculate superannuation pension, family pension, retirement gratuity & maximum permissible commuted value of pension from the following particulars:-

Date of birth	01.04.1951
Date of joining Indian Army	01.01.1968 (F.N.)
Date of leaving Army Service	31.12.1977 (A.N.)
Date of joining Civil Service	01.01.1988 (F.N.)
Inducted into ICAS	01.01.1999

Promoted to Junior Administrative Grade on 05.07.2009. His pay on promotion was fixed @₹29,520/- plus Grade Pay of ₹7,600/-.

He was confirmed in civil service and opted to count his previous military service as qualifying service under CCS Pension Rules.

He availed the following kinds of leave:-

Extraordinary leave on Medical Certificate- 60 days

Extraordinary leave for constructing house – 60 days (No entry for treating this spell as non qualifying service was made in the service book).

During the year 2000 the officer was dismissed but subsequently reinstated on appeal. There was a gap of 180 days between the date of dismissal and the date of reinstatement. No order was issued for regularizing the gap period by treating it as duty or leave.

DA w.e.f. 01.01.2011 is @51%. He applied for commutation of 40% of his pension. The commutation value of pension of ₹1 per annum is 8.194 when age next birthday is 61.

He had no family member on the date of superannuation. However, he got legally married for the first time on 01.04.2011. Date of birth of his wife is 01.01.1949.

(*30 marks*)

3. Prepare the leave account of Mr. "X" from the following data and find out the leave at credit in his leave account as on 30.06.2010.

Date of birth	15.06.1951
Date of entry into government service	01.01.1977 (F.N.)
Leave at credit on 01-02-2006	EL 168 days & HPL 20 days

Extra Ordinary Leave (EXOL) for 10 days w.e.f. 10.02.2006 to 19.02.2006

Availed Half Pay Leave for 10 days w.e.f. 01.05.2007 to 10.05.2007

Availed Earned Leave for 91 days w.e.f. 01.04.2008 to 30.06.2008

He was on Foreign Service in India w.e.f. 10.10.1999 to 31.03.2005

During November, 2009 he was transferred from station "A" to station "B" which are 3000 km apart. He travelled by Air and availed joining time of 7 days in place of admissible 12 days.

He was sanctioned EL for 61 days w.e.f. 1.4.2010 and overstayed upto 30.06.2010 for which extension of leave was not sanctioned.

(*30 marks*)

4. State True or False

(i) The definition of family under SR2(8) includes step mother residing with and wholly dependent upon the government servant.

(ii) An entitled Govt. servant who travelled by taxi on official journey on tour from residence to Airport/Railway station can claim the actual charges paid for the taxi.

(iii) Chief Controller of Accounts being the Head of Department can authorize air travel for non entitled officer.

(iv) A member of a Govt. servant's family who precedes him by not more than six months may be treated as accompanying him.

(v) The period from 2nd July to 30th August is taken as 2 months.

(vi) A Government servant in normal circumstances can be granted leave for a continuous period exceeding five years.

(vii) A Government servant can be paid honorarium of ₹2,400/- by the Head of Department and ₹3,000/- by the Secretary of the Ministry in the same financial year for performing two different works of occasional character which justifies special reward.

(viii) LTC is admissible during Child Care Leave.

(ix) A Government servant under suspension can avail LTC.

(x) The amount due on court attachments is a compulsory deduction to be enforced from subsistence allowance.

(10x3=30 marks)

5. A Dy. CA on his promotion was to join the post of CA on 1st January 2011 but could join only on 4th January 2011 because 1st to 3rd January were holidays. The Grade Pay of Dy CA is ₹6,600/- and the Grade Pay of CA is ₹7,600/-. Both posts are in the Pay Band of ₹15,600-39,100. Prior to his promotion he was drawing pay of ₹29,410/- plus Grade Pay of ₹6,600/- w.e.f. 01.07.2010. Fix his pay with DNI and also elucidate Rules.

(i) If he opts for pay fixation in the new post from the date of his promotion.

(ii) If he opts for pay fixation in the new post from the date of next increment in the old post.

(30 marks)

6. Comment on the following:-

(i) A government servant under suspension was acquitted by a Court of Law on 01.03.2012. The order reinstating him were issued on 15.03.2012 and he joined duty on the forenoon of 15.03.2012. The Head of Office asked him to apply for leave as admissible from 01.03.2012 to 15.03.2012.

(ii) A government servant who was permitted to retire voluntarily on 02.03.2010 F.N. proceeded on commuted leave on MC w.e.f. 15.01.2010 for a period of 35 days. He was however, unable to obtain a certificate of fitness on expiry of leave. He wants extension of leave upto 02.03.2010 (F.N.)

(iii) The Court set aside dismissal of a government servant solely on the ground of non compliance with the requirements of clause (1) or Clause (2) of Article 311 of the Constitution. He was not exonerated on merit. No direction was given by the court about the quantum of pay & allowances to be paid for the period of dismissal. The competent authority ordered that the government servant may be paid full amount of pay & allowances.

(iv) A re-employed government servant has 230 days E.L. & 60 days HPL at his credit on termination of his re-employment. He had encashed 10 days E.L. while availing LTC during re-employment period. He had been already paid cash equivalent of leave salary for 100 days at the time of retirement from previous employment. How many E.L./H.P.L. can now be encashed at the time of termination of his re-employment?

(v) A Senior Accountant (Gr. C) was promoted to the post of Asstt. Accounts Officer (Gr. B) w.e.f. 01.07.2010 (F.N.). He was awarded major penalty and reverted to the lower post of Senior Accountant by the competent authority w.e.f. 15.02.2012. How will his CGEGIS subscription be regulated?

(5x6 = 30 marks)

7. From the following details construct the G.P.F. ledger account and work out the amount of interest to be credited to the GPF Account of a subscriber and the closing balance for the year ending 31.03.2012.

(i)	Opening balance as on 01.04.2011	₹50,000/-
(ii)	Monthly Subscription	₹2,000/-
(iii)	Rate of Interest	8%

(iv) He was paid a temporary advance of ₹10,000 on 20th June 2010 recoverable in 20 equal installments.

(v) He was paid a temporary advance of ₹5,500 on 2nd June 2011 recoverable in 10 equal installments including outstanding advance.

(*30 marks*)